राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 238

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, मंगलवार, 4 फरवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे व टेस्ट सीरीज से बाहर हुए रोहित >> 14

मुस्कुरा के जियो

कैंसर से निबटने में सक्षम बन रहा 'आयुष्मान' भारत...

चार फरवरी को विश्व कैंसर दिवस है। देश में हर साल करीब सात लाख लोगों की मौत कैंसर से हो जाती है। जो आर्थिक तौर पर मजबूत हैं, वे अमेरिका या विकसित देशों में इलाज कराने चले जाते हैं, लेकिन आम आबादी का क्या? आम भारतीय की जीवनरक्षा में भारतीय चिकित्सा तंत्र कितना सक्षम है? बता रहे विशेषज्ञ। पेज-12

जागरण विशेष

शिकारा सिर्फ फिल्म नहीं अभियान है : विधु विनोद

मुंबई : कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बेदखल करने से पहले काफी जुल्म ढाए गए थे। जुल्म की वह दास्तान इतनी लंबी और गहरी है कि लिखने को पन्ने कम पड़ जाएंगे। इसीलिए, शिकारा फिल्म नहीं अभियान है...। निर्माता-निदेशक विधु विनोद चोपड़ा से विशेष चर्चा। (पेज-7)

विश्वास.News

नासा में नहीं हैं 58 फीसद भारतीय कर्मचारी ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल • पेज 7

न्यूज गैलरी

महासमर ▶ पृष्ठ 2

केजरीवाल ने रोड शो कर जनता से मांगे वोट

नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पटपड़गंज, कोंडली और त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो कर जनता से समर्थन मांगा। रोड शो के दौरान लोगों ने फूल-मालाओं के साथ आप नेता का स्वागत किया।

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की गतिविधियां आठ वर्षों में शीर्ष पर

नई दिल्ली: खपत की कमी से जूझती इकोनॉमी में मांग वृद्धि के संकेत नजर आने लगे हैं। जनवरी में देश के मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की गतिविधियां आठ वर्षों के उच्च स्तर पर पहुंच गई। नए बिजनेस आर्डर बढ़ने से मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के उत्पादन और भर्ती में तेजी देखने को मिली है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

छात्रा से दुष्कर्म के आरोपित चिन्मयानंद की जमानत मंजूर

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपित पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने शाहजहांपुर की कोर्ट को केस की रोजाना सुनवाई का भी निर्देश दिया है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

ओआइसी ने भी खारिज की ट्रंप की शांति योजना

जेद्दा : अरब लीग के बाद इस्लामी सहयोग संगठन (ओआइसी) ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्य-पूर्व की शांति योजना को खारिज कर दिया है। ओआइसी ने कहा है कि कोई भी देश इस योजना को लागू करने में सहयोग न दें।

शाहीन बाग का प्रदर्शन संयोग नहीं, प्रयोग है : मोदी

खरी बात ▶ प्रधानमंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध को बताया साजिश, कहा- आप और कांग्रेस खेल रहीं खेल

राजनीति बदलने की बात करने वालों का नकाब हटा

संतोष कुमार सिंह, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ शाहीन बाग और अन्य इलाकों में चल रहे प्रदर्शन संयोग नहीं बल्कि प्रयोग हैं और यह देश के सद्भाव को नष्ट करने की सियासी साजिश है। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस पर इन प्रदर्शनों को हवा देने का आरोप लगाया।

दिल्ली विधानसभा के लिए आठ फरवरी को होने वाले मतदान से पहले कड़कड़डूमा स्थित सीबीडी ग्राउंड में पहली रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने राजधानी और देश के लिए अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख भी किया। सीएए के विरोध में शाहीन बाग सहित दिल्ली के अन्य स्थानों पर चल रहे प्रदर्शनों को साजिश बताते हुए कहा, यदि यह सिर्फ एक कानून का विरोध होता तो सरकार के तमाम आश्वासनों के बाद समाप्त हो जाता। प्रदर्शन में संविधान और तिरंगे को सामने रखते हुए ज्ञान बांटा जा रहा है। इसकी आड़ में असली साजिश से लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक प्रदर्शन के नाम पर तोड़फोड़, हिंसा व देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर नाराजगी जता चुके हैं, लेकिन ये लोग अदालतों की परवाह नहीं करते। ऐसे लोग संविधान की बात कर रहे हैं। आप व कांग्रेस का जिक्र करते हुए कहा कि ये पार्टियां राजनीतिक खेल खेल रही हैं और उनकी सच्चाई उजागर हो गई है। ऐसी मानसिकता और साजिश रचने वाली शक्तियों को परास्त करने की जरूरत है। दिल्ली को इस तरह की अराजकता में नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए लोगों को आगे आना होगा। मतदान की ताकत का इस्तेमाल कर यह अराजकता खत्म की जा सकती है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने विस चुनाव के मद्देनजर सोमवार को सीबीडी मैदान में आयोजित विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। ध्रुव कुमार

आप व कांग्रेस दे रहे देशविरोधी ताकतों का साथ

मोदी ने आप और कांग्रेस पर आतंकियों और देश विरोधियों का साथ देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब दिल्ली में आए दिन आतंकी हमलों में निर्दोष लोग मारे जाते थे। सुरक्षा बलों व दिल्लीवासियों की सतर्कता से अब आतंकी हमले रुक गए हैं, लेकिन कुछ लोग पुलिस व सुरक्षा बलों पर सवाल खड़ा करते हैं। बटला हाउस में देश के गुनहगारों को मार गिराने वाली पुलिस पर कार्रवाई की मांग की गई थी। देश को टुकड़े-टुकड़े करने की इच्छा रखने वालों को आज तक बचाया जा रहा है। इसकी वजह वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति है। राजनीति बदलने की बात करने वालों के चेहरे से नकाब हट गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने देश हित में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, तत्काल तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने सहित देश हित में कई फैसले लिए हैं। इससे विपक्ष को परेशानी है।

सात को पहली बार असम में रैली करेंगे प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात फरवरी को असम के बोडो बहुल कोकराझार कस्बे में एक रैली को संबोधित करेंगे। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) विरोधी कई प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री की यह पहली पूर्वोत्तर यात्रा होगी। एक हफ्ते पहले ही केंद्र सरकार ने कई बोडो उग्रवादी समूहों और एक छात्र संगठन के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

दिल्ली को केंद्रीय योजनाओं से रखा जा रहा दूर

मोदी बोले, दिल्ली सभी का सत्कार करती है और स्वीकार करती है। यह चुनाव दिल्ली के विकास को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाला है। भाजपा की सरकार बनने से विकास में तेजी आएगी। पीएम बोले, राजनीति की वजह से दिल्ली में केंद्र सरकार की योजनाओं से गरीबों को वंचित रखा जा रहा है।

आम बजट देश को दिशा देने वाला

मोदी ने कहा, व्यापारियों से भाजपा का पुराना रिश्ता है। उनके लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं। आयकर के नए स्लैब से लोगों को सुविधा होगी। प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए 44 सौ करोड़ का प्रावधान किया गया है।

पूर्वांचल के लोगों को किया जा रहा अपमानित

मोदी ने कहा कि बिहार के लोग देश के जिस भी हिस्से में गए वहां के विकास में योगदान दिया, लेकिन उन्हें यहां अपमानित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार के लोग 500 का टिकट लेकर आते हैं और पांच लाख का इलाज करा लेते हैं। बिहार और पूर्वांचल के लोगों को लेकर इनकी यह सोच है। पटना से दिल्ली आने वाली बस को भी रोक दिया गया।

सीएए विरोधी प्रदर्शनों में एसडीपीआइ की घुसपैठ

- सीएम बोले-केरल में प्रदर्शनों के बीच इस्लामी कट्टरपंथियों ने मुद्दों को भटकाया
- विपक्षी यूडीएफ और एलडीएफ सरकार के बीच विधानसभा में वाक-युद्ध

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) विरोधी प्रदर्शनों में कट्टरपंथी संगठनों जैसे एसडीपीआइ की घुसपैठ के प्रति सचेत किया है। उन्होंने कहा कि उनकी वामदल सरकार समाज को सांप्रदायिक रूप देने की किसी भी कोशिश की इजाजत नहीं दे सकती है।

विधानसभा की कार्यवाही में मुख्यमंत्री विजयन के कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआइ) का जिक्र करने से कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन (यूडीएफ) से वामदलों की एलडीएफ सरकार का वाक-युद्ध छिड़ गया, लेकिन विजयन ने एसडीपीआइ की गतिविधियों की निंदा करते हुए कहा, ऐसे कट्टरपंथी संगठन ही लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यह संगठन प्रदर्शन के नाम पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में दिक्कतें खड़ी कर रहा है। दरअसल, एसडीपीआइ एक सियासी दल है जो विवादास्पद इस्लामिक संगठन इस्लामिस्ट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) से संबद्ध है।

विजयन ने एसडीपीआइ की गतिविधियों पर तीखे प्रहार करते हुए यूडीएफ के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, उनकी सरकार ने कानून सम्मत तरीके से सीएए के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। महल समितियों की ओर से आयोजित प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण रहे। उन्होंने कहा, दक्षिणी राज्य में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कई हिंसक घटनाएं हुई हैं। अधिकांश प्रदर्शनों में एसडीपीआइ ने जहर घोला है।

उप्र में पीएफआइ के 108 और सक्रिय सदस्य गिरफ्तार

लखनऊ : सीएए के विरोध में हुई हिंसा के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) की सुनियोजित भूमिका सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा इस संगठन पर शिकंजा कसे जाने के बाद अब यूपी पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई की है। 19 व 20 दिसंबर 2019 को हुई हिंसा की घटनाओं में पुलिस ने बीते चार दिनों में पीएफआइ के 108 और सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें सबसे अधिक मेरठ में 21, वाराणसी में 20, बहराइच में 16 और लखनऊ में 14 आरोपित दबोचे गए हैं। कुछ अन्य लोगों की भूमिका की गहनता से पड़ताल की जा रही है। (पेज-5)

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि उनकी सरकार के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि एसडीपीआइ के सदस्य कई जगहों पर इन प्रदर्शनों में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं और वहां मुद्दों को भटकाने का काम कर रहे हैं। वह ना सिर्फ हिंसा में लिप्त हैं, बल्कि लोगों को बांटने में भी लगे हुए हैं और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं।

सत्तारूढ़ दल और विपक्ष में वाक युद्ध पेज>>5

कोरोना का एक और मामला, केंद्र ने बनाया जीओएम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के नेतृत्व में जीओएम ने हालात की समीक्षा की
- 338 सैंपलों की जांच में 335 मिले निगेटिव, 70 की जांच जारी

केरल में कोरोना वायरस से पीड़ित एक और केस की पुष्टि के बाद देश में इससे पीड़ित मरीजों की संख्या तीन पहुंच गई है। तीनों ही मामले केरल में ही सामने आए हैं, जिनमें दो छात्र और एक छात्रा शामिल है। वहीं, कोरोना वायरस के खतरे से निपटने और चीन में फंसे भारतीयों को वापस लाने की तैयारियों पर नजर रखने के लिए मंत्रिमंडलीय समूह का गठन किया गया है। गठन के तत्काल बाद स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के नेतृत्व में मंत्रिमंडलीय समूह की बैठक हुई, जिसमें मौजूदा हालात पर प्रजेंटेशन दिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा ने भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की।

हरियाणा के मानेसर स्थित भारतीय सेना के कैंप में सोमवार को एक चिकित्सा कर्मी कोरोना वायरस से सुरक्षा वाला ड्रेस पहनकर काम करता हुआ। इसी कैंप में चीन से लाए गए भारतीयों को निगरानी के लिए रखा गया है। एएनआइ

स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडलीय समूह की बैठक में हर्षवर्धन के अलावा नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह राज्यमंत्री जी कृष्ण रेड्डी, स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्वनी कुमार चौबे, जहाजरानी मंत्री मनसुख लाल मंडाविया के अलावा संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मंत्रिमंडलीय समूह के सामने प्रजेंटेशन में कोराना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। जिनमें चीन के नागरिकों के ई-वीजा पर रोक, जारी हो चुके ई-वीजा को निलंबित करना और जरूरी काम से भारत आने वाले नागरिकों को पहले वहां के भारतीय दूतावास या कांस्यूलेट से संपर्क करने का निर्देश शामिल था।

अब तक चीन से 645 नागरिक लाए गए : अधिकारियों ने बताया कि अभी तक चीन से 645 लोगों को लाया गया है, जिन्हें सेना और आइटीबीपी के विशेष कैंपों में रखा गया है। साथ ही चीन से आने वाले 72,353 यात्रियों की 11 हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग की जा चुकी है। स्क्रीनिंग का दायरा सिंगापुर और थाइलैंड से आने वाले विमानों के लिए भी बढ़ा दिया गया है। अब इन दोनों देशों से आने वाले यात्रियों की भी हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग की जाएगी।

वायरस की जांच के लिए और 12 लैब पेज>>13

रोजवैली घोटाले में शाह रुख की कंपनी के खाते सीज

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- कंपनी के निदेशकों में गौरी खान, जूही चावला और उनके पति जय मेहता शामिल
- प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई कर कुल 70 करोड़ की संपत्ति की जब्त
- सेंट जेवियर्स कॉलेज व मल्टीपल रिजाट्र्स के बैंक खाते भी सीज

बहुचर्चित रोजवैली चिटफंड घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बॉलीवुड अभिनेता शाह रुख खान की कंपनी कोलकाता नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (केआरएसपीएल) के बैंक खाते सीज कर दिए हैं।

केआरएसपीएल आइपीएल की फ्रेंचाइजी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के मालिकाना हक वाली रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से संबद्ध है, जिसके प्रमोटर शाह रुख खान हैं। केआरएसपीएल के निदेशकों में उनकी पत्नी गौरी खान, अभिनेत्री जूही चावला, उनके पति जय मेहता व केकेआर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेंकी मैसूर शामिल हैं। अक्टूबर 2019 में ईडी ने रोजवैली घोटाले में वेंकी मैसूर से पूछताछ भी की थी। सूत्रों के मुताबिक, रोजवैली ग्रुप के खातों से केआरएसपीएल को भुगतान किया गया था।

केआरएसपीएल के अलावा कोलकाता स्थित सेंट जेवियर्स कॉलेज और मल्टीपल रिजाट्र्स के भी खाते सीज किए गए हैं, जिनमें जमाराशि 16.2 करोड़ रुपये बताई गई है। साथ ही ईडी ने कुल 70 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की है। इनमें ऐसी कई अन्य कंपनियां व व्यक्ति शामिल हैं, जिन्होंने कथित तौर पर रोजवैली से रुपये लिए थे। ईडी ने धन शोधक निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई की है।

केकेआर ने बताया सामान्य प्रायोजन : केकेआर की ओर से कहा गया है कि रोजवैली ग्रुप ने टीम को दो वर्षों के लिए प्रायोजित किया था। इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। शाह रुख और गौरी का इससे कोई लेना-देना नहीं है। ज्ञात हो, केआरएसपीएल के 50 लाख शेयर कम दर पर मेहता को बेचने पर विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन मामले में 2015 में शाह रुख से भी पूछताछ हो चुकी है।

इन पर भी कसा है शिकंजा पेज>>7

1200 करोड़ की जीएसटी धोखाधड़ी में एक गिरफ्तार

नई दिल्ली: केंद्रीय कर की अपवंचन रोधी इकाई ने सामान एवं सेवा कर (जीएसटी) धोखाधड़ी के एक बड़े रैकेट को उजागर करते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। गिरोह ने कर लाभ पाने के लिए 1200 करोड़ रुपये के फर्जी चालान का इस्तेमाल किया था। सोमवार को जारी आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक सरकार के साथ धोखाधड़ी के लिए 49 मुखौटा कंपनियां चलाने के आरोप में हाल ही में दयाशंकर कुशवाहा को गिरफ्तार किया था। इन कंपनियों के जरिए 124 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के फर्जीवाड़ा के साथ 1200 करोड़ रुपये के फर्जी चालान का रैकेट पकड़ा गया है। (पेज-7)

उप्र के परफॉर्मेंस ग्रांट घोटाले में दर्जनों अफसरों पर मुकदमे के आदेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- सपा शासन में हुई धांधली में मुख्यमंत्री योगी की बड़ी कार्रवाई, 12 जिलों के अफसर फंसे
- नियम विरुद्ध तरीके से आवंटित कर दिए थे 700 करोड़ रुपये, चल रही है विजिलेंस जांच

उत्तर प्रदेश में सपा सरकार में हुए परफॉर्मेंस ग्रांट घोटाले की फाइल भी योगी सरकार ने धूल झाड़कर उठा ली है। 700 करोड़ रुपये के हेरफेर के मामले में विजिलेंस जांच चल रही है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायतीराज विभाग के पूर्व निदेशक अनिल कुमार दमेले सहित 12 जिलों के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

2016-17 में 14वें वित्त आयोग के तहत मिली परफॉर्मेंस ग्रांट राशि को पंचायतीराज विभाग ने केंद्र सरकार के नियमों की अनदेखी करते हुए बांट दिया। विजिलेंस ने यह गड़बड़ी 1123 ग्राम पंचायतों को आवंटित की गई 700 करोड़ रुपये की धनराशि में पाई।

पंचायतीराज विभाग ने इसी आधार पर 22 नवंबर 2019 को लखनऊ के अलीगंज थाने में विभाग के उपनिदेशक गिरीशचंद्र रजक, अपर निदेशक राजेंद्र सिंह, तत्कालीन मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी केशव सिंह, अपर निदेशक शिवकुमार और तत्कालीन पटल सहायक रमेशचंद्र यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।

भ्रष्टाचार के पुराने मामलों में भी लगातार कार्रवाई कर रहे योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को इस प्रकरण में बड़ी कार्रवाई कर दी। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा ट्वीट कर बताया गया कि परफार्मेंस ग्रांट घोटाले में पंचायतीराज विभाग के पूर्व निदेशक अनिल कुमार दमेले के साथ ही 12 जिलों के पंचायतीराज अधिकारियों, सहायक विकास अधिकारियों, संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों व सचिवों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

बदलेंगे नियम

सालाना 500 ऐसी शादियों का हासिल नहीं हो पा रहा है लक्ष्य, हिंदू मैरिज एक्ट के अलावा अन्य पद्धतियों से विवाह करने वाले भी पात्र माने जाएंगे, अभी सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्टर्ड होने वालों को ही मिलता है आर्थिक लाभ

अंतरजातीय विवाह से जुड़े नियमों में सरकार देगी ढील

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली

जातीय बंधन में जकड़े समाज को एक सूत्र में पिरोने की कोशिशों को परवान न चढ़ते देख सरकार ने इससे जुड़ी योजना में बदलाव का फैसला लिया है। इसके तहत हिंदू मैरिज एक्ट के अलावा हिंदू विवाह की प्रचलित दूसरी पद्धतियों से विवाह करने वाले भी अब इसके दायरे में आएंगे। योजना के तहत अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की के साथ सामान्य वर्ग की लड़की या लड़के को विवाह करना होता है। ऐसे विवाह करने वालों को सरकार ढाई लाख रुपये तक की वित्तीय मदद देती है।

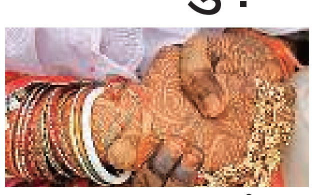

प्रतीकात्मक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक अंतरजातीय विवाह योजना में बदलाव का यह फैसला तब लिया गया है, जब सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी हर साल ऐसी 500 शादियों का लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहा है। वर्ष 2018-19 में इसके तहत सिर्फ 120 शादियां ही हो पाई थीं। जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अब तक ऐसे 60 विवाह हुए हैं। हालांकि, मंत्रालय की मानें तो उसके पास बड़ी संख्या में ऐसे भी मामले पहुंचे रहे थे, जिनमें विवाह अनुसूचित जाति के लड़के या लकड़ी के साथ ही हुआ था, लेकिन रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज एक्ट के अलावा अलग-अलग क्षेत्रों में प्रचलित दूसरी पद्धतियों में दर्ज था। यानी आर्य समाज जैसी विवाह की प्रचलित व्यवस्थाओं के तहत रजिस्टर्ड हुआ था। इन्हें योजना में शामिल न करते हुए आवेदन खारिज कर दिया गया था।

यही वजह है कि मंत्रालय ने अब हिंदू विवाह की सभी प्रचलित पद्धतियों के तहत होने वाले विवाहों को इस दायरे में लाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। सरकार फिलहाल इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जुड़े अंबेडकर फाउंडेशन के जरिये संचालित करती है। इससे पहले सरकार ने इस योजना को आकर्षक बनाने के लिए इसके तहत मिलने वाली वित्तीय मदद को एक लाख से बढ़ाकर ढाई लाख किया था।

उत्तर प्रदेश में हुए हैं सिर्फ नौ विवाह : योजना के तहत उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 102 विवाह का था, जबकि 2018-19 में कुल नौ विवाह ही हो पाए थे। वहीं बिहार में एक भी अंतरजातीय विवाह नहीं हुआ। कमोबेश ऐसी ही कुछ स्थिति दूसरे राज्यों की भी थी। सामाजिक समरसता को बढ़ाने और अंबेडकर के सपनों को जमीन को उतारने के लिए केंद्र सरकार ने 2013 में यह योजना शुरू की थी।

प्रमुख राज्यों को अंतरजातीय विवाह के दिए गए लक्ष्य

उत्तर प्रदेश	102
बंगाल	54
तमिलनाडु	36
बिहार	41
हरियाणा	13
दिल्ली	07
झारखंड	10
महाराष्ट्र	33
पंजाब	22
आंध्र प्रदेश	21
मध्य प्रदेश	28
छत्तीसगढ़	08
उत्तराखंड	04

(राज्यों को ये लक्ष्य उन राज्यों की अनुसूचित जाति की आबादी के आधार पर तय किए गए हैं।)